

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि.प्रा.(III)ब—8 / 2013—

/ पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,  
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा

विषय:— वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के “मुख्य शीर्ष-4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02— तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 – बहुशिल्प, मांग संख्या— 43, उपशीर्ष-0102— पोलिटेक्निक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय” विपत्र कोड — पी 4202021040102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—639, दिनांक 16.03.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा में ए.आई.सी.टी.ई. मानक के अनुरूप आवश्यक 110 कम्प्यूटर सिस्टम एवं पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर सहित अन्य सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 96,25,000=00 (छियानवे लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रु. 96,25,000=00 (छियानवे लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561 / वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—4572, दिनांक 03.06.2016 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अगर्वर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्ष में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280 / वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अतुल सिन्हा)

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:— कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —

निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013-

172 (m) / पटना, दिनांक 21.3.017

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई.टी.मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
21.03.17

मुख्यमन्त्री  
राज्यपाल